भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

48AD 775565

यह जनरल स्टाम्प पेपर राजा एस०पी०सिंह एजूकेशनल सोसाइटी /

जिला आगरा रजि० नं० 37811

संशो० नियमावली

वरिष्ठ सहायक
कार्या० उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा
29.6.18

सहायक उप निबंधक सोसाइटीज
सत्यमेव जयते
उत्तर प्रदेश, आगरा

संशोधित नियमावली

1.संस्था का नाम – राजा एस0पी0सिंह एजूकेशनल सोसाइटी,

2.संस्था का पता – 15/162 बी सोरों कटरा, शाहगंज, आगरा

3.संस्था का कार्यक्षेत्र – सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश होगा।

4.संस्था के उद्देश्य – संलग्न स्मृति के अंकितानुसार होंगे ।

5.संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग–

जो सज्जन इस संस्था के उद्देश्यों व नियमों में आस्था एवं विश्वास रखते होंगे एवं निर्धारित सदस्यता शुल्क एवं चन्दा देंगे वे इस संस्था के सदस्य बनाये जा सकेंगे जो निम्न वर्ग के होंगे –

संरक्षक सदस्य :-

जो सज्जन इस संस्था को एक मुश्त 5000/– रू0 सदस्यता शुल्क के रूप मे निस्वार्थ भाव से देंगे अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल या चल सम्पत्ति दान स्वरूप देंगे वे इस संस्था के संरक्षक सदस्य आजीवन रहेंगे।

आजीवन सदस्य :-

जो सज्जन इस संस्था को एक मुश्त 10000/– रू0 सदस्यता शुल्क के रूप में निस्वार्थ भाव से देंगे अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल या चल सम्पत्ति दान स्वरूप देंगे वे इस संस्था के आजीवन सदस्य होंगे ।

सामान्य सदस्य :-

जो सज्जन इस संस्था को 250/– रू0 वार्षिक सदस्यताशुल्क के रूप में दिया करेंगे वे इस संस्थाके सामान्य सदस्य होंगे ।

विशिष्ट सदस्य –

ऐसे सज्जन जिनकी आवश्यकता इस संस्था को महसूस हो रही होगी एंव संस्था का तन,मन,धन से सहयोग करने के लिऐ तत्पर रहते हो व जो विद्वान होंगें सरकार द्वारा सम्मानित एंव उपाधि प्राप्त सदस्यो जनप्रतिनिधि सदस्यों को वर्तमान कार्यकारिणी दो वर्ष के लिए संस्था का विशिष्ट सदस्य मनोनीत करेगी ऐसे सदस्य सदस्यता शुल्क से मुक्त होंगें उनकी स्वेच्छा से दिया गया दान एंव चंदा संस्था को स्वीकार होगा ऐसे सदस्यों को चुनाव में मत देने अथवा भाग लेने का अधिकार न होगा।

6–सदस्यता की समाप्ति–

1. सदस्य की मृत्यू होने, पागल या दिवालिया घोषित होने पर ।
2. आचरण भ्रष्ट होने एवं संस्था विरोधी कार्य करने पर ।
3. किसी न्यायालय द्वारा अनैतिक कार्य करने पर दण्डित किये जाने पर ।
4. सदस्यता शुल्क समय से अदा न करने पर ।
5. संस्था की लगातार तीन बैठकों में बिना कारण बताये अनुपस्थित रहने पर ।
6. किसी सदस्य के विरूद्ध 2/3 बहुमत से अविश्वास का प्रस्ताव पारित होने पर ।
7. सदस्य द्वारा त्याग –पत्र दिये जाने पर व उसे स्वीकृत होने पर सदस्य की सदस्यता स्वतः ही समाप्त मानी जावेगी ।

7–संस्था के अंग–

अ. साधारण सभा ब. प्रबन्धकारिणी समिति ।

8–साधारण सभा–

अ. गठन :–

साधारण सभा का गठन संस्था के सभी सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा।

ब. बैठकें :–

साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में एक तथा विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यो को सूचना देकर बुलाई जा सकती है।

सत्य प्रतिलिपि
वरिष्ठ सहायक
कार्या० उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा

सचिव

——2——पर

स. सूचना अवधि :–
साधारण सभा की सामान्य बैठकों की सूचना सदस्यो को कम से कम 15 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना सदस्यों को 3 दिन सूचना के किसी भी उचित या पर्याप्त माध्यम से सदस्यों को दी जावेगी ।

द. गणपूर्ति :–
गणपूर्ति के लिये कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 सदस्यों की उपस्थिति का कोरम होगा।

य. विशेष वार्षिक अधिवेशन :–
संस्था का विशेष वार्षिक अधिवेशन प्रति वर्ष होगा जिसकी तिथि संस्था की कार्यकारिणी समिति के बहुमत से तय की जावेगी ।

र. साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :–

1– संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति का समय–समय पर चुनाव सम्पन्न कराना।
2– नियमों, विनियमों में संशोधन परिवर्तन परिवर्धन साधारण सभा के 2/3 बहुमत से करना।
3– वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार पर विचार विमर्श कर उसे स्वीकृत/अस्वीकृत करना ।

9–प्रबन्धकारिणी समिति–

अ. गठन :–
प्रबन्धकारिणी समिति का गठन संस्था की साधारण सभा में से बहुमत से 12 सदस्यों को चुनकर किया जावेगा, प्रबन्धकारिणी समिति में एक अध्यक्ष,एक उपाध्यक्ष, एक सचिव/प्रबन्धक एक उपसचिव, एक कोषाध्यक्ष एवं शेष कार्यकारिणी सदस्य होंगे ।

कार्यकारिणी समिति की संख्या साधारण सभा के 2/3 बहुमत से कभी भी आवश्यकतानुसार घटाई या बढाई जा सकती है जो कम से कम 7 व अधिक से अधिक 15 होगी ।

ब. बैठकें :–
प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक वर्ष मे दो तथा विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है।

स. सूचना अवधि :–
प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठकों की सूचना सदस्यों को एक सप्ताह पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना सदस्यों को 1 दिन पूर्व सूचना के किसी भी उचित या पर्याप्त माध्यम से सदस्यों को दी जावेगी ।

द. गणपूर्ति :–
गणपूर्ति के लिये कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 सदस्यों की उपस्थिति का का कोरम होगा ।

य. रिक्त स्थानों की पूर्ति :–
प्रबन्धकारिणी समिति के अन्तर्गत यदि कोई आकस्मिक स्थान रिक्त हो जाता है तो इस स्थान/पद की पूर्ति साधारण सभा के बहुमत से प्रबन्धकारिणाी समिति में शेष कार्यकाल के लिये कर ली जावेगी ।

र. प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :–

1– संस्था के उन्नति एवं विकास हेतु कार्य करना एवं आपसी विवादों को सुलझाना ।
2– नियमों, विनियमों में संशोधन,परिवर्तन साधारण सभा के 2/3 बहुमत से कर उसे साधारण सभा से स्वीकृत करना ।

सत्य प्रतिलिपि
वरिष्ठ सहायक
कार्या० उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा
29618

--3--पर

3– वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना।

4– संस्था के विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों/मंत्रालयों एवं अन्य संस्थानों, प्रतिष्ठानों, निकायों, नागरिकों, आदि से दान, अनुदान, चन्दा, ऋण, एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करना प्राप्त आय को संस्था के हितार्थ उद्देश्यों की पूर्ति एवं चैरिटेबिल कार्यो पर व्यय करना।

5– संस्था के विकास हेतु उपइकाईयों/उपसमितियों की स्थापना/गठन करना व उनका संचालन करना ।

ल. कार्यकाल :–

प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का कार्यकाल पॉच वर्ष का होगा ।

10–पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य–

अध्यक्ष :–

1– संस्था की ओर से समस्त प्रकार की मीटिंगों की अध्यक्षता करना ।

2– मीटिंग बुलाना व स्थिगत करना, किसी विषय पर बराबर मत की दशा में अपना निर्णायक मत देना ।

3– संस्था की कार्यकारिणी समिति व साधारण सभा द्वारा स्वीकृत कार्यो को करना व संस्था की आम देखभाल करना ।

उपाध्यक्ष–

अध्यक्ष की अनुपस्थित में उनके द्वारा स्वीकृत कार्यो को करना सामान्य स्थितियो में उनका सहयोग करना ।

सचिव–

1. संस्था की ओर से समस्त प्रकार का पत्राचार करना मीटिंग बुलाना व उसकी सूचना सदस्यों तक पहुँचाना, मीटिंग कार्यवाही लिखना ।
2. संस्था के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना व उसका प्रचार–प्रसार करना।
3. संस्था की अचल–चल सम्पत्ति की सुरक्षा करना दान,अनुदान, चंदा व सदस्यता शुल्क प्राप्त करना, प्राप्त आय को संस्था कोष में जमा करना ।
4. संस्था द्वारा संचालित शिक्षा संस्थानों, विद्यालयों की पूर्ण व्यवस्था व उसके लिये कर्मचारियों एवं कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, निष्कासन, पदोन्नति एवं पदच्युत करना उनकी सेवा शर्त के नियम बनाना, वेतन भत्ते तय करना व उसका भुगतान करना।
5. संस्था के समस्त आवश्यक दस्तावेजो, ऋण, अनुदान पत्रों, चैकों, ड्राप्टों, बन्धक बिलेखों, बिल बाउचरो पर हस्ताक्षर करना ।
6. संस्था की ओर से सभी प्रकार की अदालती कार्यवाही की पैरवी करना एवं अभिलेखों को अपने पास सुरक्षित रखना ।
5. संस्था के विकास हेतु अन्य वे सभी आवश्यक कार्य करना जो संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति एवं संस्था विकास में सहायक हो करना ।

6– संस्था के द्वारा नेशनल बैंक, प्राईवेट बैंक, ऋण सोसाइटी आदि से संस्था के लिये ऋण लेने पर संस्था या सोसाइटी की चल व अचल सम्पत्ति बन्धक कर लोन लेने का अधिकार पूर्ण रूप से सचिव को होगा व बैंक में खातों का संचालन व बैंक की समस्त कार्यवाही करने का पूर्ण अधिकार होगा।

7– संस्था की आय बढाने के लिये कृषि भूमि आवासीय, कामर्शियल व अन्य श्रेणी की भूमि को खरीद व विक्रय करने का पूर्ण अधिकार होगा।

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्यालय उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा
29/6/18

उपसचिव :–

संस्था के सचिव/प्रबन्धक की अनुपस्थिति में उनके द्वारा सोंपे गये कार्य एवं सामान्य स्थितियों में उनका सहयोग करना ।

कोषाध्यक्ष :–

1. संस्था के आय–व्यय का लेखा जोखा रखना एवं समस्त आय–व्यय बही पत्रों को तैयार करना ।
2. संस्था के कोष को संस्था के खाते में जमा करना एवं दान अनुदान चंदा, आदि प्राप्त करना ।
3. सचिव/प्रबन्धक द्वारा स्वीकृत कार्यो को करना एवं बिल बाउचरों का भुगतान करना।

11. संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन प्रकिया –

संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन परिवर्धन सोसा0 रजि0 अधि0 की संगत धारा के अन्तर्गत साधारण सभा के 2/3 बहुमत से करना ।

12. संस्था का कोष एंव लेखा व्यवस्था –

संस्था का कोष किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या पेास्ट ऑफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा जिसका संचालन संस्था के सचिव /प्रबन्धक के हस्ताक्षर से होगा।

संस्था द्वारा संचालित विद्यालय की छात्रवृत्ति से सम्बन्धित खाता विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं सहायक अध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित होगा ।

13. संस्था का लेखा परीक्षण (आडिट)–

संस्था का लेखा परीक्षण प्रति वर्ष सत्र समाप्ति पर किसी योग्य आडीटर अथवा चार्टर्ड एकाउण्टैंट द्वारा किया जायेगा ।

14. संस्था के द्वारा अथवा उसके विरूद्व अदालती कार्यवाही के निस्तारण की उत्तरदायित्व

–संस्था द्वारा होने वाली समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही के संचालन की पैरवी संस्था के सचिव/प्रबन्धक द्वारा अथवा उनके अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जावेगी ।

15. संस्था के अभिलेख –

1– सदस्यता रजिस्टर ।
2– कार्यवाही रजिस्टर ।
3– कैश बुक रसीद बुक, एजेण्डा रजिस्टर ।
4– निरीक्षण रजिस्टर आदि ।

16. संस्था के विघटन –

संस्था का विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा– 13 व 14 के अन्तर्गत की जावेगी ।

दिनांक–

सत्यप्रतिलिपि

सत्य प्रतिलिपि
वरिष्ठ सहायक
कार्या० उप निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा
29/6/18

सचिव
कृते राजा एस0 पी0 सिंह डिग्री कालेज
इटौरा, आगरा

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 41AD 049853

यह अनफल स्टाम्प पेपर रजा एम. पी. सिटी एजूकेशनल सोसाइटी / 15/162 बी सोरों कटरा शाहगंज / बिल आगरा क्रमांक नं० 37811 के साथ संलग्न है।
संशोधित

कार्यालय उप निबन्धक सोसाइटीज सत्यमेव जयते उत्तर प्रदेश, आगरा

डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
आगरा
23-11-18

संस्था का नाम – राजा एस0पी0सिंह एजूकेशनल सोसाइटी,
15/ 162 बी सोरों कटरा शाहगंज जिला आगरा

प्रबन्धकारिणी समिति की सूची वर्ष- 2011 - 2012

क0सं.	नाम	पता	पद	व्यवसाय
1–	श्री मनीष जैन पुत्र श्री पवन कुमार जैन	सैक्टर–4 आवास विकास, आगरा	अध्यक्ष	पत्रकार
2–	श्री राकेश चौहान पुत्र स्व0दानवीरसिह चौहान	3/4ए/2 बैंक कॉलौनी, सुभाष पार्क आगरा	उपाध्यक्ष	व्यापार
3–	श्री चन्द्रपाल सिह जादौन पुत्र स्व0सुरेन्द्रपाल सिह	15/162–बी सोरों कटरा शाहगंज, आगरा	प्रबन्धक/ सचिव	वकालत
4–	डा0 रामनिधि शर्मा पुत्र श्री रामाधार शर्मा	पुरानी मण्डी, ताजगंज, आगरा	कोषाध्यक्ष	चिकित्सक
5–	श्री राजेन्द्र सिह पुत्र स्व0रामजीत सिह	892–सैक्टर–7 आवास विकास कॉलोनी सिकन्दरा, आगरा	उपसचिव	व्यापार
6–	श्रीमती हेमलता राठौर पत्नी श्री नवीन सिह राठौर	15/162–बी सोरों कटरा, शाहगंज,आगरा	सदस्य	वकालत
7–	श्रीमती छाया सिह पत्नी श्री सोमेन्द्रपाल सिह	15/162 बी सोरों कटरा, शाहगंज आगरा	सदस्य	गृहकार्य
8–	श्री संजय पुत्र श्री इन्द्राज	57 ककरैठा ईश्वर नगर, आगरा	सदस्य	व्यापार

सत्य प्रतिलिपि
उप निबंधक
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षे त्र, आगरा